उर्दू प्रेस की समीक्षा और विश्लेषण

वर्ष 6 | अंक 17 | 1-15 सितंबर 2023 | ₹ 20/-

जी20 शिखर सम्मेलन उर्दू प्रेस की नजर में

- उत्तर प्रदेश में फर्जी मदरसों के खिलाफ कार्रवाई
- काबुल में चीन का राजदूत नियुक्त
- मिस्र के स्कूलों में नकाब पहनने पर प्रतिबंध
- भारत और सऊदी अरब के बीच सहयोग के नए युग की शुरुआत

परामर्शदाता
डॉ. कुलदीप रतनू

सम्पादक
मनमोहन शर्मा*

सम्पादकीय सहयोग
शिव कुमार सिंह

कार्यालय
डी–51, प्रथम तल,
हौज खास, नई दिल्ली–110016
दूरभाष: 011–26524018

E-mail:
info@ipf.org.in
indiapolicy@gmail.com

Website:
www.ipf.org.in

मुद्रक–प्रकाशक: मनमोहन शर्मा द्वारा भारत नीति प्रतिष्ठान के लिए डी–51, प्रथम तल, हौज खास, नई दिल्ली–110016 से प्रकाशित तथा साई प्रिंटओ पैक प्रा.लि., ए–102/4, ओखला इंडस्ट्रीयल एरिया, फेस–2, नई दिल्ली–110020 से मुद्रित

*अनुवाद के लिए पूरी तरह जिम्मेदार

अनुक्रमणिका

सारांश 03

राष्ट्रीय

जी20 शिखर सम्मेलन उर्दू प्रेस की नजर में 04
संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर अरशद मदनी की आपत्ति 07
उत्तर प्रदेश में फर्जी मदरसों के खिलाफ कार्रवाई 11
शाह वलीउल्लाह देहलवी को महिमामंडित करने का अभियान 13
वाराणसी में तब्लीगी जमात के कार्यक्रम पर प्रतिबंध 14
भारत और सऊदी अरब के बीच सहयोग के नए युग की शुरुआत 16

विश्व

काबुल में चीन का राजदूत नियुक्त 17
फ्रांस के स्कूलों में अबाया पहनने पर प्रतिबंध 18
स्वीडन में कुरान के अपमान पर हंगामा 20
रूस में इस्लामिक बैंकिंग की शुरुआत 21
पाकिस्तान और अफगानिस्तान के आपसी संबंधों में तनाव 22

पश्चिम एशिया

मिस्र के स्कूलों में नकाब पहनने पर प्रतिबंध 24
सऊदी अरब में विद्रोह के आरोप में दो सैन्य अधिकारियों को मौत की सजा 25
ईरान में इजरायली एजेंटों की साजिश विफल 25
सऊदी अरब के स्कूलों में संगीत की शिक्षा 26
बहरीन में इजरायल का दूतावास 27
माली में इस्लामिक आतंकियों के हमले में 80 से अधिक मरे 28

सारांश

उर्दू के अधिकतर अखबारों ने दिल्ली में जी20 शिखर सम्मेलन के सफल आयोजन का श्रेय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को दिया है और यह मत व्यक्त किया है कि नरेन्द्र मोदी की सफल कूटनीति के कारण यूक्रेन के मामले में रूस और अमेरिका के बीच टकराव टल गया है। कुछ उर्दू अखबारों का मत है कि इस सम्मेलन पर जो अंधाधुंध खर्च किया गया है, वह उचित नहीं है। कुछ अखबारों ने लिखा है कि आने वाले चुनावों में मोदी सरकार इस सम्मेलन की सफलता को भुनाने का प्रयास करेगी। हालांकि, कुछ अखबारों ने इस बात का भी उल्लेख किया है कि भारत सरकार ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को दिल्ली में पत्रकार वार्ता करने से रोक दिया है और उन्हें इस संदर्भ में वियतनाम जाकर अपना बयान देना पड़ा है। जो बाइडेन ने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से मानवाधिकारों और प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में चर्चा की थी। एक उर्दू अखबार ने लिखा है कि प्रधानमंत्री मोदी को किस बात का डर था कि उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति को प्रेस से मुखातिब होने से रोक दिया।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने आजमगढ़ के एक मदरसा के प्रबंधक की याचिका को रद्द कर दिया है, जिसमें फर्जी मदरसों के बारे में एटीएस की रिपोर्ट पर कार्रवाई करने पर रोक लगाने की मांग की गई थी। गौरतलब है कि आजमगढ़ जिले में लगभग 300 मदरसों में से 219 मदरसे फर्जी पाए गए थे और उनका वजूद सिर्फ कागजों तक ही सीमित था। रोचक बात यह है कि उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के कुछ भ्रष्ट कर्मचारियों की वजह से ये फर्जी मदरसे सरकारी अनुदान की राशि भी निरंतर पाते रहे। जब इस मामले की जांच की गई तो इस घोटाले का पता चला। एटीएस ने लगभग 375 दोषियों के खिलाफ मुकदमे दर्ज करने की सिफारिश की थी, जिसे राज्य सरकार ने स्वीकार कर लिया था। इसके बाद कानूनी शिकंजे से बचने के लिए कुछ मदरसों के प्रबंधकों ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। मगर उनका यह प्रयास विफल रहा।

मिस्र की सरकार ने स्कूलों में छात्राओं के नकाब पहनने पर रोक लगा दी है। खास बात यह है कि इस्लामिक जगत के सबसे बड़े धार्मिक शिक्षा संस्थान अल-अजहर के मुफ्ती आजम ने भी इस प्रतिबंध का समर्थन किया है और इसे शरिया के अनुरूप बताया है। वहीं, सऊदी अरब में भी कट्टर इस्लामिक माहौल अब तेजी से बदल रहा है। सऊदी सरकार ने इस बात की घोषणा की है कि अगले शैक्षणिक सत्र से संगीत की शिक्षा की भी व्यवस्था की जाएगी। गौरतलब है कि इस्लाम में संगीत को हराम माना जाता है। दूसरी ओर, अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने छह लोगों को संगीत का कार्यक्रम पेश करने पर गिरफ्तार कर लिया है और उन्हें सार्वजनिक रूप से कोड़े मारने की सजा दी जाएगी।

चीन मुस्लिम देशों में बड़ी तेजी से अपने पैर पसार रहा है। चीन अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को मान्यता देने और काबुल में अपना राजदूत नियुक्त करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। इसके साथ ही चीन ने अफगानिस्तान की खनिज संपदा के दोहन का काम भी शुरू कर दिया है। चीनी वैज्ञानिकों ने वहां पर तेल, सोना, तांबा आदि के विशाल भंडारों का पता लगाया है। चीन का यह प्रयास है कि अफगानिस्तान एक तेल उत्पादक देश के रूप में उभरे और वह अफगानिस्तान के तेल से अपनी ऊर्जा की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। इस समय चीन अपनी ऊर्जा की पूर्ति के लिए रूस पर निर्भर है। इससे पूर्व चीन मध्य पूर्व के देशों में भी अपना सिक्का सफलतापूर्वक जमा चुका है। उसके प्रयासों से सऊदी अरब और ईरान जैसे दो पुराने शत्रु देश एक दूसरे के नजदीक आ गए हैं।

जी20 शिखर सम्मेलन उर्दू प्रेस की नजर में

उर्दू के अधिकांश अखबारों ने दिल्ली में हुए जी20 शिखर सम्मेलन का स्वागत किया है और इसे देश के लिए बड़ी उपलब्धि बताया है। इन अखबारों का यह भी दावा है कि इस आयोजन से भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी विश्व के एक महत्त्वपूर्ण नेता के रूप में उभरे हैं।

रोजनामा सहारा (12 सितंबर) ने अपने मुख्य पृष्ठ पर अब्दुल माजिद निजामी का एक विशेष संपादकीय प्रकाशित किया है, जिसमें कहा गया है कि जी20 विश्व के आर्थिक रूप से महत्त्वपूर्ण देशों का एक समूह है। इसकी स्थापना 1999 में की गई थी। इसकी सदस्यता का विस्तार करने का कार्य भी जारी है। हाल ही में इसमें अफ्रीकी यूनियन को 21वें सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। इस सम्मेलन की सबसे बड़ी कामयाबी यह रही कि इसके संयुक्त घोषणा पत्र में इस बात पर खास ध्यान दिया गया कि भले ही इस सम्मेलन से कोई ठोस परिणाम न निकले हों। मगर इसमें ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाए, जो कानों को सुकून देती हों। इसका साफ अनुमान रूस-यूक्रेन युद्ध पर जारी दस्तावेज से लगाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त दुनिया की बुनियादी आर्थिक समस्याओं और उनके सामने आने वाली चुनौतियों को भी शब्दों के गोरख धंधे में छिपाने की कोशिश की गई है। भारत के प्रयास से घोषणा पत्र में रूस के खिलाफ सख्त शब्द इस्तेमाल नहीं किए गए और इसका उल्लेख रूस के विदेश मंत्री ने भी नरेन्द्र मोदी के साथ मुलाकात के दौरान किया है। जी20 शिखर सम्मेलन की दूसरी कामयाबी यह मानी जा रही है कि अफ्रीकी यूनियन को जी20 की सदस्यता प्रदान करके यह संदेश दिया गया है कि 'वैश्विक दक्षिण' की आवाज को विश्व के सभी मंचों पर मजबूत बनाने की जरूरत है ताकि विकसित देशों के मुकाबले में विकासशील देश भी अपनी समस्याओं को दुनिया के सामने रख सकें और उनका हल तलाश किया जा सके। जी20 की एक सफलता यह भी रही कि यहां से दुनिया को 'एक परिवार और एक भविष्य' का नारा दिया गया।

मुंबई उर्दू न्यूज (9 सितंबर) ने अपने संपादकीय में कहा है कि इस अधिवेशन में चारों तरफ मोदी ही मोदी दिखाई देता है। यहां तक कि

इस अधिवेशन में आने वाले विभिन्न देशों के नेताओं की भी फोटो नजर नहीं आती। हद तो यह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन तक की तस्वीर नहीं लगाई गई। इस अधिवेशन का आयोजन मोदी भक्तों के मन को बहलाने के लिए किया गया था। दिल्ली को सजाने व संवारने पर अरबों रुपये खर्च किए गए। यह रकम जनता की जेब से खर्च की गई है। इसे न तो प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी जेब से अदा किया है और न ही इसका भुगतान अडानी या अंबानी ने किया है। शायद यही जन भागीदारी है। तीन दिन तक दिल्ली पूरी तरह से बंद रही और जनता अपने घरों में कैद रही। दिल्ली को सजाने के लिए झुग्गी-झोपड़ियों को जिस तरह से हटाया गया और जिन्हें नहीं हटाया गया उन्हें छिपाने के लिए जिस तरह से परदे लगा दिए गए उसे भी जन भागीदारी ही समझा जा रहा है। झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाले लोगों को जबरन उनके घरों को छोड़ने पर मजबूर किया गया। दिल्ली को इसलिए खूबसूरत बनाया गया ताकि विदेशी राष्ट्राध्यक्ष इसे देखें और यह मान लें कि मोदी वैश्विक नेता हैं और भारत विश्व गुरु है। विश्व गुरु यह नहीं चाहता कि दुनिया उसकी गरीबी को देखे।

तासीर (11 सितंबर) ने अपने संपादकीय में कहा है कि भारत विश्व में शांति की स्थापना के लिए महत्त्वपूर्ण योगदान दे सकता है। भारत ने जी20 की अध्यक्षता करके दुनिया को एक नया रास्ता दिखाया है। यह प्रधानमंत्री मोदी का ही कमाल है कि जी20 के घोषणा पत्र पर सभी देशों के बीच आसानी से सहमति बन गई। यह भारत की सबसे बड़ी कामयाबी है। पूरी दुनिया यह मान रही है कि जी20 शिखर सम्मेलन के दो दिनों के कार्यक्रम के दौरान नरेन्द्र मोदी ने बहुत ही बुद्धिमता से काम लेकर सभी राष्ट्राध्यक्षों को संयुक्त घोषणा पत्र के लिए रजामंद कर लिया।

सियासत (10 सितंबर) ने अपने संपादकीय में यह स्वीकार किया है कि जी20 सम्मेलन का आयोजन करना प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की बहुत बड़ी कामयाबी है। इस सम्मेलन में भारत के नेतृत्व की भूमिका उभर कर सामने आई है। यह मोदी सरकार की सफल कूटनीति और हिंदुस्तान की तरक्की की स्वीकृति है। भारत ने अपने आजादी के कई दशकों बाद वैश्विक मामलों में जो नीति अपनाई है उसे दुनिया ने स्वीकार किया है। यह भारत और नरेन्द्र मोदी की बहुत बड़ी कामयाबी है।

अवधनामा (12 सितंबर) ने अपने संपादकीय में जी20 शिखर सम्मेलन के सफल आयोजन के लिए भारत सरकार और विशेष रूप से नरेन्द्र मोदी को बधाई दी है और कहा है कि इससे विश्व पटल पर भारत एक महत्त्वपूर्ण देश के रूप में उभरा है और दुनिया ने मोदी का लोहा माना है। इस सम्मेलन में यूक्रेन-रूस युद्ध के बारे में जो सहमति प्रकट हुई उसका श्रेय नरेन्द्र मोदी की सफल कूटनीति को दिया जा सकता है।

इत्तेमाद (9 सितंबर) ने अपने संपादकीय में यह आशंका व्यक्त की है कि जी20 शिखर सम्मेलन की सफलता को मोदी सरकार आने वाले चुनाव में चुनावी मुद्दे के तौर पर इस्तेमाल करेगी और उससे राजनीतिक लाभ उठाने का प्रयास करेगी।

अवधनामा (10 सितंबर) ने अपने संपादकीय में कहा है कि जी20 शिखर सम्मेलन की सफलता और चंद्रयान-3 के चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने को मोदी सरकार की सफलता माना जा सकता है। आने वाले सालों में भारत को

दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनाने का वायदा नरेन्द्र मोदी ने किया है। इसे सिर्फ जुमलेबाजी नहीं कहा जा सकता। सरकारें आती जाती रहती हैं। मगर अब जो हालात बन रहे हैं उसे देखते हुए यह पूरे विश्वास से कहा जा सकता है कि आने वाले सालों में भारत विश्व अर्थव्यवस्था का पावर हाउस बनेगा।

इत्तेमाद (11 सितंबर) ने अपने संपादकीय में जी20 शिखर सम्मेलन को सफल करार देते हुए कहा है कि इसकी सफलता का सेहरा मोदी के सिर पर ही बंधेगा। देश के आने वाले आम चुनावों से पूर्व भाजपा सरकार की ओर से दिल्ली में होने वाले इस अधिवेशन को चकाचौंध बनाने के लिए कोई कसर बाकी नहीं रखी गई थी। मोदी के आमंत्रण पर विश्व के बड़े-बड़े नेता आए। इस सम्मेलन के लिए 2700 करोड़ रुपये खर्च करके एक मंडप बनाया गया। एक अनुमान के अनुसार इस सम्मेलन के आयोजन पर सरकार ने लगभग 10 हजार करोड़ रुपए खर्च किए हैं और दिल्ली की सजावट के लिए कई झुग्गी बस्तियों को साफ करके हजारों लोगों को बेघर कर दिया गया है।

मुंबई उर्दू न्यूज (12 सितंबर) ने अपने संपादकीय में कहा है कि मोदी सरकार ने जी20 शिखर सम्मेलन में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को जो बात नहीं कहने दी वह बात उन्होंने वियतनाम जाकर कह दी। अमेरिकी राष्ट्रपति का प्रयास था कि वे भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ मिलकर संयुक्त संवाददाता सम्मेलन करें और यदि यह संभव न हो तो उन्हें अकेले ही मीडिया से बात करने दिया जाए। लेकिन उन्हें अकेले भी बातचीत नहीं करने दी गई और न ही संयुक्त संवाददाता सम्मेलन का आयोजन करने का ही अवसर दिया गया। जो बाइडेन ने वियतनाम में कहा कि उन्होंने नरेन्द्र मोदी के साथ मानवाधिकारों और प्रेस की स्वतंत्रता का मामला उठाया था।

समाचारपत्र ने कहा है कि हमें यह समझ में नहीं आती कि इसमें ऐसी क्या बात थी कि मोदी सरकार ने जो बाइडेन को भारत में मीडिया से बातचीत नहीं करने दी। आखिर प्रधानमंत्री मोदी किस बात से डर रहे थे? इसका सीधा मतलब यह है कि प्रधानमंत्री मोदी प्रेस की आजादी और मानवाधिकारों का दावा तो कर सकते हैं। मगर वे इन मुद्दों पर प्रेस का सामना करने के लिए तैयार नहीं हैं। वे इस बात से क्यों डरते हैं, इसे पूरी दुनिया जानती है। सच्चाई यह है कि यहां प्रेस की आजादी का गला घोंट दिया गया है। जब मानवाधिकारों की बात होती है तो आप मणिपुर और मेवात की हिंसा को कैसे नजरअंदाज कर सकते हैं। किसान आंदोलन और शाहीन बाग में सीएए-एनआरसी के खिलाफ दिल्ली और उत्तर प्रदेश में होने वाले प्रदर्शनों को रोकने के लिए असंवैधानिक तरीकों का इस्तेमाल किया गया। मुसलमानों के धार्मिक और शैक्षणिक मामलों में हस्तक्षेप किया गया। दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों के अधिकारों का हनन किया गया।

हिंदुस्तान एक्सप्रेस (12 सितंबर) ने अपने संपादकीय में जी20 शिखर सम्मेलन की सफलता के लिए मोदी सरकार को बधाई दी है और कहा है कि विश्व में भारत एक महत्त्वपूर्ण देश के रूप में उभरा है। इस सम्मेलन से दुनिया भर में भारत की वाहवाही हो रही है।

संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर अरशद मदनी की आपत्ति

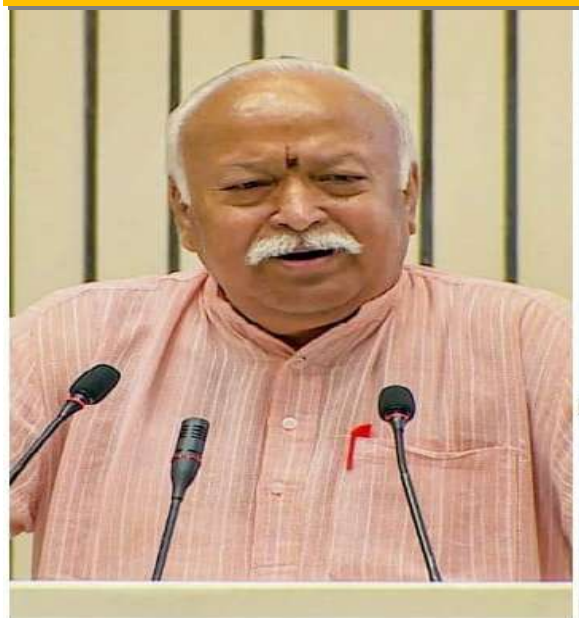

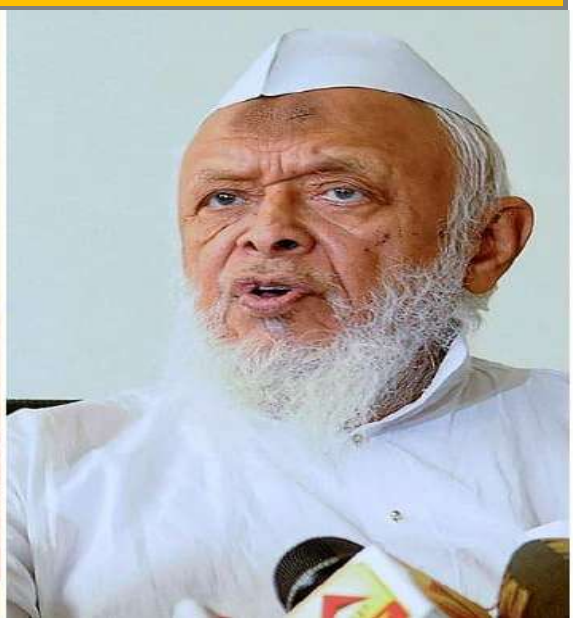

इंकलाब (4 सितंबर) के अनुसार देश में नफरत का माहौल बनाने और हरियाणा के नूंह आदि स्थानों पर मुसलमानों को सामूहिक बदले का निशाना बनाए जाने पर जमीयत उलेमा के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने सख्त नाराजगी व्यक्त की है और कहा है कि आरएसएस हिंदुस्तान में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच शांति, दोस्ती और मोहब्बत की भावना को प्रोत्साहन देने के वायदे से पीछे हट गई है। उन्होंने कहा कि कुछ समय पहले देश में फैली हुई भ्रांतियों और बढ़ती हुई नफरत को दूर करने के लिए उन्होंने मोहन भागवत से जो बातचीत की थी उस पर संघ अब कायम नहीं रहा है। उन्होंने कहा कि आरएसएस के नेताओं के बयान से यह साफ है कि वे सांप्रदायिक सद्भाव नहीं चाहते। वे जानबूझकर विवादों को हवा दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि हाल ही में मोहन भागवत ने जो बयान दिया है कि हिंदुस्तान में रहने वाला हर व्यक्ति हिंदू है, उससे हम बिलकुल सहमत नहीं हैं। मदनी ने विपक्षी दलों के गठबंधन आईएनडीआईए का स्वागत करते हुए कहा है कि देश में नफरत के माहौल को दूर करने के लिए राजनीति में परिवर्तन जरूरी है। अगर विपक्षी दल एकजुट नहीं हुए तो उनका वजूद ही समाप्त हो जाएगा। जिस तरह से कर्नाटक में सांप्रदायिक ताकतों को पराजित किया गया है उसी तरह से राष्ट्रीय स्तर पर भी सांप्रदायिक तत्वों को पराजित करना चाहिए। उन्होंने मेवात में हाल के दंगों से प्रभावित रेहड़ी-पटरी लगाने वाले 200 लोगों को 40 लाख रुपये का चेक बांटा। मदनी ने कहा कि जमीयत उलेमा प्रारंभ से राहत और सहायता के कामों में सबसे आगे रही है। हमने यह काम कभी मजहब के नाम पर नहीं किया, बल्कि मानवता के आधार पर किया है। मुसलमानों की समस्याओं के बारे में हम विशेष रूप से जागरूक हैं। यही कारण है कि हम सांप्रदायिक दंगों से प्रभावित होने वाले या आतंकवाद के झूठे आरोपों में पकड़े गए लोगों को कानूनी सहायता देते हैं। उन्होंने कहा कि नूंह दंगों की असली वजह यह थी कि प्रशासन और पुलिस ने ईमानदारी से काम नहीं किया। सरकार की नीतियों के कारण देश में सांप्रदायिकता और नफरत की भावना बढ़ रही है।

मुंबई उर्दू न्यूज (2 सितंबर) के अनुसार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र है और इस देश में रहने वाला वाला हर व्यक्ति हिंदू है। देश की अधिकांश आबादी उनकी इस बात से सहमत है। लेकिन कुछ लोग इस सच्चाई को स्वीकार नहीं करते और इसे मानने से इंकार करते हैं। मगर हकीकत यह है कि हिंदुस्तान एक हिंदू राष्ट्र है। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने नागपुर में नरकेसरी प्रकाशन के नए कार्यालय के उद्घाटन के दौरान ये बात कहीं। मोहन भागवत ने कहा कि कुछ लोग स्वार्थ के कारण भारत को हिंदू राष्ट्र नहीं मानते। यह हिंदू संस्कृति वाली हिंदू भूमि है, जिससे हर कोई जुड़ा है। सैद्धांतिक दृष्टिकोण से सभी भारतीय हिंदू हैं और हिंदू का मतलब भारतीय है। भारत में रहने वाले सभी लोग हिंदू संस्कृति, हिंदू पूर्वज और हिंदू भूमि से जुड़े हैं। इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। मोहन भागवत ने स्वदेशी और अनुशासन पर भी ध्यान देने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि मीडिया की रिपोर्टिंग तथ्यों पर आधारित और तटस्थ होनी चाहिए। मगर इसके साथ ही अपनी विचारधारा को ज्यों का त्यों रखना चाहिए। इस दौरान महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी मंच पर मौजूद थे। नितिन गडकरी ने कहा कि पाठक उस मीडिया को पसंद करते हैं जो एक विशेष विचारधारा का होते हुए भी सबको साथ लेकर चलता हो।

उर्दू टाइम्स (8 सितंबर) के अनुसार संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि समाज में भेदभाव के उन्मूलन के लिए आरक्षण बेहद जरूरी है। समाज में हमने अपने ही साथियों को उपेक्षित रखा और हमने उनकी परवाह नहीं की। यह लगभग दो हजार सालों से लगातार हो रहा है। हमें उन्हें अपने बराबर लाना चाहिए। इसके लिए खास कदम उठाने होंगे। आरक्षण ऐसा ही एक महत्त्वपूर्ण कदम है। यह उस समय तक जारी रहना चाहिए जब तक कि समाज में एकता स्थापित न हो जाए और सब लोग बराबर न हो जाएं। संघ संविधान में दिए गए आरक्षण का पूर्ण समर्थन करता है। क्योंकि आरक्षण से न केवल आर्थिक और राजनीतिक समता की भावना उत्पन्न होती है, बल्कि इसके कारण सम्मान में भी वृद्धि होती है।

समाचारपत्र के अनुसार संघ प्रमुख का यह बयान इसलिए भी महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि महाराष्ट्र में मराठों के आरक्षण के लिए आंदोलन चल रहा है। हाल ही में जालना में आरक्षण की मांग करने वाले प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया था, जिसके कारण राज्य की एकनाथ शिंदे सरकार को सख्त आलोचना का सामना करना पड़ा और उपमुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस को इसके लिए माफी भी मांगनी पड़ी। ऐसी स्थिति में मोहन भागवत का यह बयान आरक्षण के संबंध में संघ की स्थिति को स्पष्ट करता है।

इसी समाचारपत्र के अनुसार बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव ने भाजपा और आरएसएस को निशाना बनाते हुए कहा है कि भाजपा ढोंगी पार्टी है और मोहन भागवत अंदर से आरक्षण के विरोधी हैं। उन्होंने आरक्षण के बारे में संघ प्रमुख के बयान पर टिप्पणी करते हुए कहा कि संघ प्रारंभ से ही दलितों और पिछड़ों को आरक्षण देने का विरोधी रहा है, जिसको इस बारे में कोई संदेह हो वह गुरु गोलवलकर की पुस्तक 'बंच ऑफ थॉट' को पढ़ ले।

सियासत (3 सितंबर) के अनुसार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख ने देश की जनता से अपील की है कि वह इंडिया की बजाय भारत का इस्तेमाल करें। इस देश का नाम सदियों से भारत है, इंडिया नहीं। इसलिए हमें इसका पुराना नाम ही इस्तेमाल करना चाहिए। जुबान कोई भी हो नाम एक ही रहता है। हमें अपने मुल्क को भारत कहना होगा और दुनिया को इसे समझाना भी होगा। मोहन भागवत सकल जैन समाज के एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा

कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है और सभी भारतीय हिंदू हैं। सभी भारतीय हिंदुत्व का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे तमाम लोग जो आज भारत में रह रहे हैं उनके पूर्वज हिंदू थे और उनकी संस्कृति हिंदू है।

मुंबई उर्दू न्यूज (6 सितंबर) के अनुसार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह सरकार्यवाह डॉ. कृष्ण गोपाल ने दिल्ली विश्वविद्यालय में 'नारी शक्ति संगम' में महिला सशक्तिकरण पर बोलते हुए कहा कि इस्लामिक हमलों के कारण भारतीय समाज में कुरीतियां पैदा हुई हैं। मध्यकाल में आक्रांताओं के हाथों से महिलाओं और लड़कियों की रक्षा के लिए कुछ प्रतिबंध लगाए गए थे। यह संकटकाल था। मंदिरों को ध्वस्त किया जा रहा था। बड़े-बड़े विश्वविद्यालयों को तबाह किया जा रहा था और हिंदू महिलाओं को विधर्मी आक्रांताओं ने विशेष रूप से अपना निशाना बनाया। लाखों भारतीय महिलाओं का अपहरण करके उन्हें दुनियाभर के बाजारों में बेचा गया। चाहे वह अहमद शाह अब्दाली हो, मोहम्मद गौरी हो या महमूद गजनवी, सभी ने भारतीय महिलाओं को अपना निशाना बनाया। आक्रांताओं से इन महिलाओं को बचाने के लिए इन्हें स्कूलों और गुरुकुलों में भेजना बंद कर दिया गया। इसलिए महिलाएं अशिक्षित रह गईं। उन्होंने यह भी दावा किया कि बाल विवाह इसलिए शुरू किया गया था ताकि बालिकाएं विदेशी आक्रांताओं के चंगुल से सुरक्षित रहें। प्रारंभ में हमारे देश में सती प्रथा जैसी कोई रस्म नहीं थी। लेकिन बाद में आक्रांताओं के चंगुल से बचने के लिए महिलाओं ने अपने सतीत्व की रक्षा के लिए जौहर की प्रथा शुरू की और महिलाओं ने स्वयं को आग के हवाले करके आत्म-बलिदान देना शुरू किया। विधवाओं के विवाह पर प्रतिबंध लगाया गया। अब वातावरण बदल रहा है। महिलाएं हर क्षेत्र में आगे आ रही हैं।

हमारा समाज (6 सितंबर) ने अपने संपादकीय में मौलाना अरशद मदनी के बयान का समर्थन करते हुए कहा है कि मौलाना मदनी ने दो टूक शब्दों में कह दिया है कि आरएसएस के नेता अब सामाजिक सद्भावना नहीं चाहते। मौलाना ने हर हिंदुस्तानी के हिंदू होने के बारे में मोहन भागवत के बयान को भी कोरा बकवास बताया है और कहा है कि हर हिंदुस्तानी हिंदू नहीं है, बल्कि वह हिंदी है। संभव है कि उनके इस बयान को पढ़कर बहुत से मुसलमानों को भी यह लगा हो कि आरएसएस के बारे में मौलाना ने कोई नई बात तो नहीं कही। इस देश का हर नागरिक जानता है कि आरएसएस हिंदू-मुस्लिम नफरत की फसल को खाद पानी देता है। लेकिन इन सबके बावजूद पिछले दिनों मौलाना अरशद मदनी ने संघ प्रमुख से मुलाकात भी की थी। इसके बाद इन दोनों नेताओं का संयुक्त बयान भी प्रकाशित हुआ था।

समाचारपत्र का कहना है कि मौलाना का यह स्पष्टीकरण इसलिए भी महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि आरएसएस से वार्ता की पहल भी मुसलमानों के सबसे बड़े ऐतिहासिक और पुराने संगठन के प्रमुख ने की, जिसका पूरा खानदान स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रहा है और उनके दादा काले पानी की कैद भी काट चुके हैं। उन्होंने कभी अंग्रेजों से

माफी नहीं मांगी। मौलाना ने यह महसूस किया होगा कि उनके परिवार के बलिदानों से देश तो आजाद हुआ और देश का एक सेक्युलर संविधान भी बना। लेकिन अब इस सेक्युलर संविधान को बदलने वाले सत्तारूढ़ हो गए हैं और वे धीरे-धीरे देश की साझी विरासत को समाप्त करते जा रहे हैं। इसलिए मौलाना ने सत्तारूढ़ भाजपा के मार्गदर्शक और उसके विचारक मोहन भागवत से मुसलमानों के बारे में मुलाकात की पहल की और मोहन भागवत का भी जवाब सकारात्मक रहा। मगर इसके बावजूद संघ प्रमुख ने जो आश्वासन दिया था उसको पूरा नहीं किया। संघ के नेता मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलते रहे हैं। ऐसे में मौलाना का यह बयान बहुत जरूरी था ताकि उनकी मुलाकात को बहाना बनाकर गोदी मीडिया देश के मुसलमानों को गुमराह न कर सके। दरअसल, मौलाना अरशद मदनी हों या महमूद मदनी उन जैसे दो चार उलेमा ही विदेशों में भारतीय मुसलमानों की तस्वीर पेश करते हैं।

इन दिनों वर्तमान सरकार को एक जुनून यह भी सवार हो गया है कि वह देश की गरीब जनता को इस भ्रांति में डाल रही है कि हमारा देश सुपर पावर बनने ही वाला है। साथ ही दुनिया में सरकार यह भी दावा करती है कि भारत अल्पसंख्यकों के लिए स्वर्ग है। जबकि सच्चाई यह है कि इन दस सालों में लोकतंत्र के नाम पर नफरत का नंगा नाच जितना सरकारी सरपरस्ती में हुआ है, वैसा आज तक नहीं हुआ। सत्तारूढ़ पार्टी बहुत सोच-समझकर मुसलमानों को चुनावी तंत्र से बाहर रखने की साजिश कर रही है। झूठी देशभक्ति के नारों की आड़ में मुसलमानों की मॉब लिंचिंग की जा रही है। हद तो यह है कि अब मुसलमानों का आर्थिक बहिष्कार करने के भी नारे लगाए जा रहे हैं और बुलडोजरों से मुसलमानों के घरों और दुकानों को ध्वस्त करने का अभियान भी जोरों से चल रहा है। जो कुछ हो रहा है वह बहुत ही डरावना है। इसलिए यह जरूरी है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में वर्तमान सरकार को सत्ता से हटा दिया जाए।

मुंबई उर्दू न्यूज (4 सितंबर) ने अपने संपादकीय में कहा है कि मोहन भागवत इस बात पर विश्वास रखते हैं कि अगर एक झूठ को बार-बार बोला जाए तो लोग उसे सच मानने लगते हैं। सच्चाई यह है कि हिंदुस्तान न ही पहले हिंदू राष्ट्र था और न ही आज है। न ही विभाजन के बाद यह हिंदू राष्ट्र बना और न ही संघ के लाख प्रयास के बावजूद भी आने वाले दिनों में हिंदू राष्ट्र बन सकेगा। इस देश का संविधान सेक्युलर और लोकतांत्रिक है। इस देश के हर व्यक्ति को उसकी पसंद के धर्म और मजहब पर चलने की पूरी आजादी है। मगर यह मनुवाद के समर्थकों को पसंद नहीं है। क्योंकि यह संविधान उन्हें छुआछूत और वर्ण व्यवस्था को लागू करने से रोक रहा है। इसलिए वे यह स्वप्न देख रहे हैं कि इस देश को हिंदू राष्ट्र में बदलकर दोबारा मनुवादी शासन को लागू किया जाए और पिछड़ों, दलितों व अल्पसंख्यकों को रौंद कर उन्हें फिर से गुलाम बना दिया जाए। यह ख्वाब देखने और दिखाने

वाला मोहन भागवत के नेतृत्व वाला संगठन आरएसएस ही है।

समाचारपत्र के मुताबिक हिंदू राष्ट्र का सारा शोशा आरएसएस और इस संगठन को वैचारिक आधार प्रदान करने वाले सावरकर का ही छोड़ा हुआ है। आरएसएस ने 1925 से ही हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र में बदलने का ख्वाब देखना शुरू कर दिया था। मगर उस समय यह संभव नहीं था। क्योंकि मुल्क के लीडरशिप में सेक्युलर विचाराधारा वालों का बहुमत था और मुसलमान भी आज की तरह कमजोर नहीं थे। मगर आज हालात बदल गए हैं। इस समय मुल्क पर भगवा गिरोह का बोलबाला है। जो पार्टियां सेक्युलर समझी जाती थीं, उनमें भी बड़ी संख्या में सांप्रदायिक तत्वों ने घुसपैठ कर ली है। रही मुस्लिम लीडरशिप की बात तो इसे पूरी योजना से समाप्त किया जा रहा है और यह अब मिटने के करीब है।

सामचारपत्र का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और उनके दाहिने हाथ अमित शाह ने साफ तौर पर कहा है कि अगर वे 2024 का चुनाव जीत गए तो मुल्क को हिंदू राष्ट्र बना दिया जाएगा और अब मोहन भागवत पूरे देश में इसी हिंदू राष्ट्र का झंडा उठाए घूम रहे हैं। इस झंडे की राह में जो पहले अड़चने थीं, अब वह नहीं हैं। इसलिए संघ परिवार को अब यह यकीन हो चला है कि हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। इसलिए यह नारा भी लगाया जाता है कि मोदी है तो मुमकिन है। मगर आज के समय में देश को हिंदू राष्ट्र बनाना आसान नहीं है। क्योंकि विपक्षी दलों का एक गठबंधन आईएनडीआईए के रूप में संघ और भाजपा के सामने एक बड़ी चुनौती के रूप में खड़ा हो गया है। आज के शासक 'वन नेशन, वन इलेक्शन, वन रिलिजन, वन नेशनल लैंग्वेज और वन नेशनल कल्चर' में विश्वास रखते हैं। अगर दुर्भाग्य से हिंदू राष्ट्र का स्वप्न साकार हो गया तो वह चाहे किसी भी धर्म का व्यक्ति हो उसे हिंदू ही कहा जाएगा। क्योंकि वर्तमान शासक एक धर्म में ही विश्वास रखते हैं।

उत्तर प्रदेश में फर्जी मदरसों के खिलाफ कार्रवाई

इंकलाब (11 सितंबर) के अनुसार इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने फर्जी मदरसों की जांच पर प्रतिबंध लगाने से इंकार कर दिया है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के इस फैसले से उत्तर प्रदेश कल्याण विभाग के छह अधिकारियों और आजमगढ़ के 219 मदरसों से संबंधित कर्मचारियों और प्रबंधकों को भारी धक्का लगा है। गौरतलब है कि आजमगढ़ के मदरसा अंजुमन सिद्दिकिया जामिया नुरुल उलूम सहित कई मदरसों की प्रबंधक कमेटियों ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में याचिका दायर करके यह मांग की थी कि उत्तर प्रदेश सरकार की रिपोर्ट को रद्द करके इन फर्जी मदरसों की जांच पर प्रतिबंध लगाया जाए।

गौरतलब है कि आजमगढ़ में फर्जी मदरसों को चलाए जाने की शिकायत पर 2017 में उत्तर प्रदेश सरकार ने इस मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया था, जिसने अपनी जांच रिपोर्ट में यह खुलासा किया कि आजमगढ़ के

313 मदरसों में से 219 मदरसों का कोई वजूद नहीं है और वे सिर्फ कागजों पर चल रहे हैं। जांच में यह भी पाया गया कि इन फर्जी मदरसों को मदरसों के आधुनिकीकरण की योजना के तहत सरकार की ओर से अनुदान की राशि का भी भुगतान किया गया था। एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट 30 नवंबर 2022 को उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित कमेटी के समक्ष पेश की थी। रिपोर्ट में यह सिफारिश की गई थी कि फर्जी मदरसे चलाने वालों और उन्हें अनुदान देने वाले उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक मदरसा बोर्ड के अधिकारियों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जाएं। जांच रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के छह अधिकारियों, 219 मदरसों के प्रबंधकों और 110 अध्यापकों के खिलाफ फौजदारी मुकदमा चलाने के साथ-साथ इन मदरसों की मान्यता को भी रद्द करने की सिफारिश की गई थी। जिन अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा चलाने की सिफारिश की गई थी।

इसके अतिरिक्त आजमगढ़ जिला अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के कार्यालय में तैनात तीन कर्मचारियों को भी दोषी ठहराया गया था। जांच रिपोर्ट में कहा गया था कि इन अधिकारियों ने सरकारी आदेशों और मदरसा बोर्ड के नियमों का उल्लंघन करके इन मदरसों को न केवल मान्यता ही दी, बल्कि उन्हें सरकारी अनुदान की भी अदायगी की। इसके अतिरिक्त मदरसों का सारा रिकॉर्ड भी गायब कर दिया गया। जांच रिपोर्ट में 219 मदरसों के प्रबंधकों और 110 अध्यापकों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 409, 420, 467, 468 और 471 के तहत मुकदमा दर्ज करने की सिफारिश की थी। मदरसों के प्रबंधकों ने इस जांच रिपोर्ट को उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी और यह तर्क दिया था कि जांच के दौरान उन्हें अपना पक्ष रखने का मौका नहीं दिया गया। इसलिए एकतरफा जांच रिपोर्ट के आधार पर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करना सरासर अनुचित है। उच्च न्यायालय ने इस तर्क को रद्द कर दिया।

इंकलाब (8 सितंबर) के अनुसार उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड ने यह फैसला किया है कि नए मदरसों को मंजूरी तभी दी जाए जब उनमें पढ़ाने वाले अध्यापक प्रशिक्षित हों। अभी अधिकांश मदरसों के अध्यापक प्रशिक्षित नहीं हैं। इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार ने मदरसों के अध्यापकों के लिए प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने का फैसला किया है, जिसमें इन अध्यापकों को बीएड की तर्ज पर दो वर्ष का मदरसा टीचर ट्रेनिंग कोर्स करवाया जाएगा। मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष ने कहा कि इस समय उत्तर प्रदेश के 1500 से अधिक मदरसों में से अधिकांश के अध्यापक प्रशिक्षित नहीं हैं। हालांकि, कुछ लोगों ने उर्दू

संस्थानों से कोर्स कर रखा है, मगर वे सरकार से मान्यता प्राप्त नहीं हैं। सरकारी सूत्रों के अनुसार मदरसों के शिक्षकों को प्रशिक्षण देने के लिए 30 जिलों में प्रशिक्षण केंद्र खोले जाएंगे।

उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. इफ्तिखार अहमद जावेद के अनुसार पिछले वर्ष उत्तर प्रदेश सरकार ने मदरसों का जो सर्वेक्षण करवाया था, उसमें 8500 मदरसे निर्धारित मानकों के अनुसार नहीं पाए गए थे। इसके साथ ही इस सर्वे में यह भी पता चला था कि 240 मदरसे ऐसे हैं, जिनमें छात्रों की संख्या 30 से भी कम है। मदरसा बोर्ड ने इन मदरसों को नोटिस जारी करके निर्देश दिया है कि अब वे अपनी त्रुटियां दूर करें और निर्धारित मानकों को लागू करें। अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो उनकी मान्यता रद्द कर दी जाएगी।

एक अन्य समाचार के अनुसार उत्तराखंड में संचालित मदरसों में अब बच्चों को अरबी के साथ-साथ संस्कृत की भी शिक्षा दी जाएगी। इसके लिए बोर्ड के अंतर्गत आने वाले 117 मदरसों को आधुनिक बनाकर वहां एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम लागू किया जाएगा, जिसमें संस्कृत भी एक विषय के रूप में शामिल होगी। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने बताया कि इन मदरसों के छात्रों के लिए एक ड्रेस कोड भी लागू किया जा रहा है। वक्फ बोर्ड ने चार मदरसों का आधुनिकीकरण करने का फैसला किया है, जिनमें देहरादून की मुस्लिम कॉलोनी का मदरसा, रूड़की में रहमानिया मदरसा, रामनगर में जामा मस्जिद का मदरसा और खटीमा में रहमानिया मदरसा शामिल हैं। इन मदरसों में सभी आधुनिक उपकरण जैसे कंप्यूटर, एलईडी स्क्रीन और इंटरनेट की सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जा रही हैं। सरकार का उद्देश्य है कि मुस्लिम छात्र भी डॉक्टर, इंजीनियर और प्रशासक बन सकें।

उर्दू टाइम्स (15 सितंबर) के संपादकीय में कहा गया है कि मदरसों में संस्कृत की शिक्षा को लागू करना अच्छी बात है। लेकिन अगर जबरन इसे मदरसों पर थोपा जा रहा है तो यह गलत है। हाल ही में सरकार की तरफ से यह धमकी भी दी गई है कि जो मदरसे सरकारी अनुदान पर चल रहे हैं अगर वे संस्कृत को लागू करने से इंकार करेंगे तो उनका अनुदान बंद कर दिया जाएगा। समाचारपत्र का कहना है कि मुसलमानों को जानबूझकर परेशान किया जा रहा है। पहले सर्वे को आधार बनाकर मदरसों की जांच की गई थी और जब उन्हें इसमें कुछ कामयाबी नहीं मिली तो उन्होंने इन मदरसों के पाठ्यक्रम को अपना निशाना बनाया। अब भाषा के आधार पर मदरसों को अपना निशाना बनाया जा रहा है। ऐसा लगता है कि सरकार मुसलमानों पर हिंदू संस्कृति को थोपने का प्रयास कर रही है। समाचारपत्र ने सुझाव दिया है कि सरकार को हिंदी मीडियम स्कूलों में भी अरबी की शिक्षा लागू करनी चाहिए।

शाह वलीउल्लाह देहलवी को महिमामंडित करने का अभियान

रोजनामा सहारा (18 अगस्त) के अनुसार हाल ही में इमाम शाह वलीउल्लाह देहलवी का 269 उर्स मौलाना मोहम्मद असद अहमद की अध्यक्षता में मनाया गया। इस अवसर पर दिल्ली के इरविन अस्पताल के पीछे बने उनके मकबरे पर फूलों की चादर चढ़ाई गई और कुरान का पाठ किया गया। मौलाना फराह अहमद तरीह ने उनके जीवन पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि पहले यह उर्स मनाया जाता था। विभाजन के बाद यह सिलसिला बंद हो गया था। अब इसे मुफ्ती आजम मोहम्मद मुशरिफ अहमद ने फिर से शुरू करवाया है। इस अवसर पर अनेक दरगाहों के सज्जादानशीन और

मुस्लिम नेता मौजूद थे। इसके एक सप्ताह बाद उनके पिता शाह अब्दुर रहीम का भी पहली बार उर्स मनाने का सिलसिला शुरू किया गया।

शाह वलीउल्लाह को वहाबी संप्रदाय का भारत में प्रवर्तक माना जाता है। बताया जाता है कि वे वहाबी संप्रदाय को प्रारंभ करने वाले अल-वहाब के मदीना में सहपाठी हुआ करते थे। ये वही शख्स हैं जिन्होंने अफगानिस्तान के शासक अहमद शाह अब्दाली को भारत पर हमला करने का आमंत्रण दिया था। शाह वलीउल्लाह ने पत्र में लिखा था कि भारत में काफिर सत्ता में आ गए हैं और इस्लाम का वजूद खतरे में पड़ गया है। इसलिए वे इस्लाम की रक्षा के लिए भारत पर हमला करें। शाह वलीउल्लाह का संकेत उस समय भारत की राजनीति में तेजी से उभर रही मराठा शक्ति की ओर था।

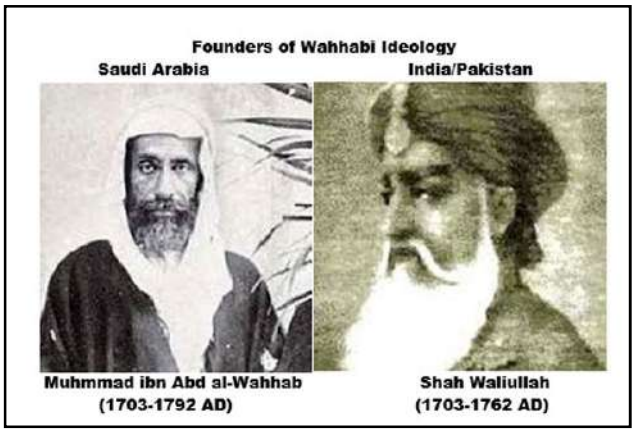

गौरतलब है कि शाह वलीउल्लाह के आमंत्रण पर अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर हमलों का सिलसिला शुरू किया था। उसने सात बार भारत पर हमला किया। 1761 में पानीपत के तीसरे युद्ध में उसकी टक्कर मराठा सेनापति सदाशिवराव भाऊ और मराठा पेशवा बालाजी बाजीराव के बेटे विश्वास राव से हुई। इस संदर्भ में यह उल्लेखनीय है कि शाह वलीउल्लाह के प्रयासों से उत्तर भारत के सभी मुस्लिम शासक काफिर मराठाओं का सफाया करने के लिए एकजुट हो गए थे। जबकि राजपूतों और जाटों ने मराठों का साथ देने से साफ इंकार कर दिया। सिखों ने अहमद शाह अब्दाली का डटकर साथ दिया। पटियाला के राजा आला सिंह को अब्दाली ने समर्थन के बदले नवाब की पदवी प्रदान की। पानीपत के मैदान में हिंदू पद पादशाही की स्थापना करने का स्वप्न टूट गया। इस युद्ध में डेढ़ लाख से अधिक मराठा सैनिक मारे गए। अहमद शाह अब्दाली ने मथुरा और वृंदावन के सभी मंदिरों को ध्वस्त कर दिया और वहां पर एक लाख हिंदुओं को मौत के घाट उतार दिया। अब्दाली भारत से वापस जाते हुए एक लाख से अधिक भारतीय महिलाओं और लड़कियों को गुलाम बनाकर अपने साथ ले गया, जिन्हें विश्वभर में नीलाम किया गया। हैरानी की बात यह है कि अब शाह वलीउल्लाह जैसे लोगों को महिमामंडित करने का अभियान फिर से शुरू हो गया है।

वाराणसी में तब्लीगी जमात के कार्यक्रम पर प्रतिबंध

मुंबई उर्दू न्यूज (5 सितंबर) ने आरोप लगाया है कि वाराणसी पुलिस ने तब्लीगी जमात के लोगों के वाराणसी में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया था। 27 अगस्त को शहर के कुछ मदरसों में ठहरे हुए तब्लीगी जमात के सदस्यों को पुलिस ने बाहर निकाला और उन्हें रेलवे स्टेशन भेज दिया। उन्हें यह भी निर्देश दिया गया कि वे भविष्य में वाराणसी में दाखिल न हों। पुलिस कमिश्नर ने शहर के विभिन्न मदरसों के इमामों और मुतवल्लियों को नोटिस देकर उन्हें यह हिदायत दी कि भविष्य में वे अपने धर्मस्थलों पर तब्लीगी जमात का कोई कार्यक्रम न करें। आजाद अधिकार

सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर ने पुलिस की इस कार्रवाई की शिकायत मानवाधिकार आयोग से की है। समाजवादी पार्टी ने ट्विटर पर एक वीडियो पोस्ट करते हुए कहा है कि घोसी के उपचुनाव में अपनी हार सामने देखकर भाजपा बौखला गई है और वह मदरसों और मस्जिदों में रहने वाले इमामों को परेशान कर रही है।

गौरतलब है कि कोरोना महामारी के दौरान भी तब्लीगी जमात चर्चा में आया था और उसके सैकड़ों सदस्यों को कोरोना का संक्रमण फैलाने के आरोप में देश के विभिन्न नगरों से गिरफ्तार किया गया था। तब्लीगी जमात की स्थापना 1926 में मौलाना इल्यास कांधलवी ने की थी। इसका मुख्यालय दिल्ली की बस्ती निजामुद्दीन की बंग्लेवाली मस्जिद में स्थित है। जमात के सूत्रों के अनुसार विश्व के 110 देशों में तब्लीगी जमात की शाखाएं हैं और इसके अनुयायियों की संख्या 20 करोड़ के करीब बताई जाती है।

समाचारपत्र के अनुसार 27 अगस्त को वाराणसी की भोज बाबा मस्जिद में तब्लीगी जमात का इज्तिमा था। इस इज्तिमा पर पुलिस ने प्रतिबंध लगा दिया और जमात से संबंधित लोगों को पकड़कर वाराणसी से रवाना कर दिया गया। वाराणसी पुलिस ने इन सभी मस्जिदों के मुतवल्लियों और इमामों को नोटिस जारी किया था, जिसमें उन्हें हिदायत दी गई थी कि उनकी मस्जिद में जमातियों का कोई कार्यक्रम नहीं होना चाहिए। मस्जिद अंजुमन इस्लामिया कमेटी के महासचिव एस.एम. यासीन ने कहा है कि वाराणसी पुलिस ने कई मस्जिदों पर छापे मारकर तब्लीगी जमात के लोगों को पकड़ा था और उन्हें उत्तर प्रदेश छोड़ने का निर्देश दिया था।

इंकलाब (4 सितंबर) ने दावा किया है कि पुलिस की इस कार्रवाई से उत्तर प्रदेश के मुसलमानों में काफी गुस्सा है। वाराणसी के मुफ्ती मौलाना अब्दुल बातिन नोमानी ने पुलिस की कार्रवाई की निंदा की है और इसे असंवैधानिक बताया है।

इंकलाब (7 सितंबर) के अनुसार मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने वाराणसी में तब्लीगी जमात के खिलाफ की गई कार्रवाई की निंदा की है। बोर्ड के प्रवक्ता डॉ. सैयद कासिम रसूल इलियास ने कहा है कि तब्लीगी जमात का राजनीति से कोई संबंध नहीं है। यह विशुद्ध रूप से एक धार्मिक संगठन है, जो इस्लाम का प्रचार-प्रसार करता है। देश में उस पर कोई प्रतिबंध नहीं है। इसके बावजूद पुलिस ने उनको कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति नहीं दी। यह तानाशाही है और उत्तर प्रदेश सरकार को दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए।

भारत और सऊदी अरब के बीच सहयोग के नए युग की शुरुआत

इंकलाब (12 सितंबर) के अनुसार भारत-सऊदी अरब रणनीतिक साझेदारी परिषद की दिल्ली में बैठक हुई, जिसमें प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और सऊदी अरब के युवराज मोहम्मद बिन सलमान ने भाग लिया। सऊदी अरब के युवराज दिल्ली में आयोजित जी20 के शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आए हुए थे। इस परिषद की स्थापना 2019 में की गई थी। नरेन्द्र मोदी ने सऊदी अरब को सबसे महत्त्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक करार दिया और कहा कि दुनिया की दो बड़ी और तेजी से बढ़ने वाली आर्थिक शक्तियों के बीच आपसी सहयोग पूरे क्षेत्र की शांति और स्थिरता के लिए जरूरी है। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा है कि सऊदी युवराज से उनकी बातचीत बहुत लाभदायक सिद्ध हुई है और आशा है कि दोनों देशों के बीच व्यापार में वृद्धि होगी। हमारे संबंधों को नई शक्ति और दिशा मिलेगी और हम मिलकर मानवता के कल्याण के लिए काम करते रहेंगे। उन्होंने भारत, यूरोप और मध्य पूर्व के आर्थिक गलियारे का जिक्र करते हुए उसे ऐतिहासिक करार दिया और कहा कि इससे न सिर्फ भारत और सऊदी अरब ही जुड़ेंगे, बल्कि एशिया, पश्चिम एशिया और यूरोप के बीच आर्थिक सहयोग और ऊर्जा के विकास को गति मिलेगी। इससे पूर्व मोहम्मद बिन सलमान का राष्ट्रपति भवन में स्वागत किया गया।

रोजनामा सहारा (13 सितंबर) के अनुसार भारत-सऊदी अरब निवेश मंच की बैठक में भारत और सऊदी अरब की पांच से अधिक कंपनियों ने भाग लिया। सऊदी युवराज मोहम्मद बिन सलमान ने घोषणा की कि सऊदी सरकार भारत में 100 अरब डॉलर का पूंजी निवेश करेगी। पूंजी निवेश मंच की बैठक में भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और सऊदी अरब के पूंजी निवेश मंत्री खालिद अल-फलीह ने भाग लिया।

काबुल में चीन का राजदूत नियुक्त

हमारा समाज (15 सितंबर) के अनुसार चीन विश्व का पहला देश है जिसने अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को न सिर्फ विधिवत मान्यता दी है, बल्कि वहां पर अपना दूतावास भी खोल दिया है। अफगानिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद ने चीनी राजदूत झाओ जिंग द्वारा प्रस्तुत पत्रों को स्वीकार किया। 2021 में अफगानिस्तान में तालिबान के सत्तारूढ़ होने के बाद अफगानिस्तान की सरकार को मान्यता देने वाला चीन पहला देश है। तालिबान सरकार के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने इस समाचार की पुष्टि की है। चीन के राजदूत ने कहा कि काबुल में चीनी राजदूत के रूप में अफगान सरकार ने जो मुझे मान्यता दी है, उसके लिए मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं। उन्होंने कहा कि चीन अफगानिस्तान के साथ मजबूत राजनीतिक व आर्थिक संबंध चाहता है और इसे दोनों देशों की जरूरतों के लिए लाभदायक भी समझता है।

गौरतलब है कि इससे पूर्व पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री अनवर उल हक काकर ने कहा था कि पाकिस्तान अफगानिस्तान सरकार को मान्यता नहीं देगा और आज तक वहां की तालिबान सरकार को किसी देश ने मान्यता भी नहीं दी है। उनकी इस घोषणा के बाद चीन द्वारा अफगानिस्तान में अपना राजदूत नियुक्त करने को महत्त्वपूर्ण कदम बताया जा रहा है। चीनी विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि अफगानिस्तान में चीनी राजदूत की नियुक्ति एक सामान्य प्रक्रिया है। इसका लक्ष्य चीन और अफगानिस्तान के बीच बातचीत व सहयोग को आगे बढ़ाना है। अफगानिस्तान के साथ चीन की नीति साफ है। वह अफगानिस्तान के मामलों में किसी भी विदेशी शक्ति के हस्तक्षेप के खिलाफ है और चीन अफगानिस्तान सरकार की संप्रभुता को स्वीकार करता है। यह दोनों देशों के बीच संबंधों के नए अध्याय की शुरुआत है।

अफगानिस्तान सरकार के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने यह आशा व्यक्त की है कि अब अन्य देश भी अफगानिस्तान को मान्यता देने के लिए आगे आएंगे। उन्होंने कहा कि दोनों

देश आपसी मेलजोल से सभी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। हाल ही में चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने भी अफगानिस्तान का पहला सरकारी दौरा किया था। अफगानिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद ने कहा है कि चीन से हमारे पुराने संबंध हैं और एक पड़ोसी देश के तौर पर चीन ने हमें हर क्षेत्र में सहयोग दिया है। चीन और अफगानिस्तान इस साल के शुरू में ही कई समझौतों पर हस्ताक्षर कर चुके हैं। हाल ही में चीन ने अफगानिस्तान में तेल के नए कुएं स्थापित करके वहां से तेल निकालने का काम भी शुरू कर दिया है। इसके अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में भी चीन अफगानिस्तान को समर्थन दे रहा है। चीन ने हाल ही में मानवीय आधार पर अफगानिस्तान को खाद्यान्न और अन्य सामग्री भी सप्लाई करने की घोषणा की थी। ■

फ्रांस के स्कूलों में अबाया पहनने पर प्रतिबंध

उर्दू टाइम्स (29 अगस्त) के अनुसार फ्रांस ने स्कूलों में अबाया पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया है। गौरतलब है कि अबाया एक तरह का ढीला-ढाला कपड़ा होता है, जिसे पहनने वाले पुरुष या महिला के चेहरे को छोड़कर पूरा शरीर ढका रहता है। जबकि बुर्का में पूरा शरीर ढका होता है और आंखों पर एक जालीनुमा कपड़ा लगा रहता है, जिससे बाहर का दृश्य दिखाई देता है। फ्रांस के शिक्षा मंत्री गेब्रियल अटाल ने कहा कि सरकार ने सभी सरकारी स्कूलों में अबाया और पूरी बाजू वाले कपड़े पहनने पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। उन्होंने एक टेलीविजन चैनल को इंटरव्यू देते हुए कहा कि अबाया पर प्रतिबंध लगाने का लक्ष्य यह है कि जब छात्राएं स्कूलों या कक्षाओं में जाएं तो उनकी वेशभूषा देखकर उनके धर्म की पहचान न हो सके।

गौरतलब है कि फ्रांस ने 2004 में एक कानून बनाकर पूरे देश के स्कूलों में बुर्का, स्कार्फ, बड़े क्रॉस, यहूदी टोपियां और हिजाब पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया था। मगर उसमें अबाया को शामिल नहीं किया गया था। अब सरकार ने अबाया को भी उसमें शामिल करने की घोषणा की है। फ्रांस के विभिन्न राजनीतिक दलों ने इस प्रतिबंध को फ्रांसीसी परंपरा और संस्कृति के विपरीत बताया है और कहा है कि यह एक विशेष धर्म के मामले में हस्तक्षेप है। कुछ रिपोर्ट में यह दावा किया गया था कि कुछ छात्राएं अबाया पहनकर स्कूलों में आ रही हैं। इसको लेकर स्कूल के प्रबंधकों और छात्राओं के अभिभावकों के बीच तनाव पैदा हो गया था।

हिंदुस्तान एक्सप्रेस (9 सितंबर) के अनुसार कुछ मुस्लिम संगठनों ने अबाया पर प्रतिबंध लगाने के खिलाफ फ्रांस के सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया है। अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि हिजाब पर प्रतिबंध मुसलमानों के साथ धार्मिक आधार पर भेदभाव का मामला नहीं है। फ्रांस की सरकार ने सेक्युलिरज्म के सिद्धांतों के आधार पर स्कूलों में अबाया पहनने पर जो प्रतिबंध लगाया है, वह जायज है। फ्रांस के शिक्षा

मंत्रालय ने कहा है कि अबाया पहनने से इस बात की तुरंत पहचान हो जाती है कि पहनने वाले का संबंध इस्लाम धर्म से है। शिक्षा मंत्रालय के निर्देश पर अबाया पहने सैकड़ों छात्राओं को स्कूल से वापस उनके घर भेज दिया गया, क्योंकि छात्राओं ने अबाया को उतारने से साफ इंकार कर दिया था। दूसरी ओर, फ्रांस के शिक्षा मंत्री का दावा है कि 300 के लगभग छात्राएं अबाया पहनकर स्कूलों में आई थीं, जिन्हें स्कूल से वापस लौटा दिया गया। बाद में 69 छात्राओं को छोड़कर बाकी सभी ने इस बात का आश्वासन दिया कि वे अबाया पहनकर स्कूलों में नहीं आएंगी। इसके बाद उन्हें कक्षाओं में बैठने की अनुमति दी गई।

सरकारी अनुमान के अनुसार फ्रांस की छह करोड़ 70 लाख जनसंख्या में से लगभग दस प्रतिशत मुसलमान हैं। फ्रांसीसी मुसलमानों के संगठन 'एक्शन फॉर द राइट्स ऑफ मुस्लिम्स' ने फ्रांस की सरकार से अनुरोध किया था कि अबाया और पुरुषों की कमीज पर जो प्रतिबंध लगाया गया है उसे वापस लिया जाए। इस संगठन का कहना था कि यह मुसलमानों के साथ भेदभाव है और इसके कारण मुसलमानों के खिलाफ नफरत की भावना भड़क सकती है। मगर अदालत ने उनके इस याचिका को खारिज कर दिया है। इस संगठन के वकील ने अदालत में यह भी तर्क दिया था कि अबाया एक धार्मिक लिबास नहीं है, बल्कि यह एक परंपरागत लिबास है। सरकार ने इस पर प्रतिबंध राजनीतिक लाभ उठाने के लिए लगाया है और यह लैंगिक आधार पर भी भेदभाव करता है।

मुंबई उर्दू न्यूज (10 सितंबर) के अनुसार फ्रांस में अबाया पर लगे प्रतिबंध के खिलाफ मुस्लिम संगठनों ने जोरदार प्रदर्शन किया है। मध्य फ्रांस के एक स्कूल क्लेरमोंट के प्रिंसिपल ने पुलिस में यह शिकायत दर्ज कराई है कि जब उन्होंने अपने स्कूल में अबाया पहने कुछ छात्राओं को प्रवेश करने से रोका तो उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई। उनकी इस शिकायत पर फ्रांस के स्कूलों में सुरक्षा प्रबंध कड़े कर दिए गए हैं।

हिंदुस्तान एक्सप्रेस (13 सितंबर) ने अपने संपादकीय में फ्रांस में अबाया पर लगाए गए प्रतिबंध को इस्लाम के खिलाफ भेदभाव की नीति का परिचायक बताया है और कहा है कि यह फ्रांस की सेक्युलर संस्कृति के खिलाफ है। समाचारपत्र ने यह शिकायत की है कि फ्रांस में मुसलमानों के खिलाफ लगातार अभियान चल रहा है।

इत्तेमाद (7 सितंबर) ने अपने संपादकीय में कहा है कि यूरोप में क्योंकि इस्लाम दिन-प्रतिदिन लोकप्रिय हो रहा है और वहां के निवासी ईसाई धर्म को त्यागकर इस्लाम की शरण में आ रहे हैं। इसलिए वहां की सरकारें इस्लाम की बढ़ती लोकिप्रयता से घबरा गई हैं और उन्होंने यूरोप के सभी देशों में इस्लाम के खिलाफ अभियान छेड़ दिया है। वहां पर मुसलमानों और इस्लाम के खिलाफ नफरत की भावना को हवा दी जा रही है। यह फ्रांस के संविधान की भावना के खिलाफ है। ऐसा प्रतीत होता है कि वहां के शासकों पर कट्टरपंथी ईसाइयों का बहुत दबाव है, जिसके कारण वह इस्लाम और मुसलमानों को समाप्त करने पर तुली हुई हैं।

स्वीडन में कुरान के अपमान पर हंगामा

इस्लामिक जगत के जोरदार विरोध के बावजूद यूरोप के कुछ देशों में कुरान और इस्लाम के खिलाफ अभियान जारी है।

सियासत (5 सितंबर) के अनुसार स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में विरोध-प्रदर्शन के दौरान कुरान को जलाने के आरोप में पुलिस ने दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। बताया जाता है कि इस विरोध-प्रदर्शन का आयोजन इराकी मूल के सलवान मोमिका ने किया था। यह विरोध-प्रदर्शन स्वीडन के दक्षिणी नगर माल्मो में किया गया। इस नगर में मुसलमानों की बड़ी आबादी रहती है। पुलिस के अनुसार प्रदर्शन में लगभग 200 व्यक्ति शामिल थे। बताया जाता है कि कुछ लोगों ने कुरान को जलाने का विरोध किया। इस पर दोनों गुटों में झड़पें हुईं। कुछ लोगों ने कुरान को जलाने वालों को पकड़ने का प्रयास किया। मगर वे भागकर पुलिस के पीछे छिप गए। इस पर मुस्लिम भीड़ ने पथराव किया। बाद में पुलिस ने 27 अन्य लोगों को भी हिरासत में ले लिया। मुसलमानों का कहना है कि इस्लाम विरोधी एक व्यक्ति को कुरान का अपमान करने की सरकार द्वारा खुलेआम अनुमति दी जा रही है और उसे पुलिस संरक्षण भी प्रदान किया जा रहा है। पुलिस का कहना है कि जब वह कुरान को जलाने वाले व्यक्ति को पकड़कर सुरक्षित स्थान पर ले जा रही थी तो रास्ते में पुलिस के वाहन पर कुछ लोगों ने हमला किया। गौरतलब है कि कुछ महीने पहले संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद भी एक प्रस्ताव पारित करके कुरान जलाए जाने की घटनाओं की निंदा कर चुका है।

मुंबई उर्दू न्यूज (11 सितंबर) के अनुसार तुर्किये के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगन ने दिल्ली में कहा कि कुरान को जलाना मुसलमानों के प्रति नफरत का परिचायक है, जिसे सहन नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अभिव्यक्ति की आजादी की आड़ में कुरान और इस्लाम के अपमान का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। हम कुरान के अपमान की घटनाओं पर खामोश नहीं रह सकते। सभी मुस्लिम देशों को एकजुट होकर इस्लाम के अपमान करने वालों को संरक्षण देने वाले देशों के खिलाफ सख्त कदम उठाना चाहिए और उन्हें उनके साथ राजनयिक संबंध भी समाप्त कर लेना चाहिए।

हिंदुस्तान एक्सप्रेस (6 सितंबर) ने अपने संपादकीय में स्वीडन में कुरान को जलाए जाने की निंदा की है और कहा है कि मुस्लिम देशों को एकजुट होकर कुरान का अपमान करने वालों को संरक्षण देने वाले देशों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। पिछले महीने 57 मुस्लिम देशों ने एकजुट होकर यूरोप के इन देशों से मांग की थी कि वह ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए तत्काल कानून बनाएं। मगर अभी तक इनमें से किसी देश ने कानून बनाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया है।

रूस में इस्लामिक बैंकिंग की शुरुआत

सालार (2 सितंबर) के अनुसार रूस के इतिहास में पहली बार इस महीने की शुरुआत से दो साल के लिए इस्लामिक बैंकिंग व्यवस्था को पायलट प्रोग्राम के तहत प्रारंभ कर दिया गया है। फिलहाल इसे मुस्लिम बहुल क्षेत्रों जैसे तातारस्तान, बश्कोर्तोस्तान, चेचन्या और दागिस्तान में शुरू किया जा रहा है। अगर यह कार्यक्रम सफल रहा तो इसे पूरे देश में लागू किया जाएगा। गौरतलब है कि रूस में मुसलमानों की संख्या ढ़ाई करोड़ के लगभग है और वहां के मुसलमान काफी समय से यह मांग कर रहे हैं कि रूस में भी इस्लामिक बैंकिंग व्यवस्था की शुरुआत की जाए। अब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने देश में इस्लामिक बैंकिंग व्यवस्था को शुरू करने वाले कानून पर हस्ताक्षर कर दिए हैं।

गौरतलब है कि इस्लामिक बैंकिंग व्यवस्था शरीयत के अनुसार कार्य करती है। शरीयत में ब्याज का लेन देन हराम समझा जाता है। इसलिए नई इस्लामिक बैंकिंग व्यवस्था में इस बात का प्रावधान किया गया है कि जो लोग इन बैंकों में अपनी धनराशि जमा करवाते हैं, उस धनराशि को विभिन्न कारोबार में निवेश करके इन कारोबारों से होने वाले लाभांश को जमा करवाने वालों को दिया जाए। इस्लामिक फाइनेंस के रूसी शाखा के सचिव मदीना कलीमुल्लीना ने कहा है कि रूस में पहले से ही इस्लामिक बैंकिंग व्यवस्था कुछ निजी वित्तीय संस्थानों में चलाई जा रही थी। अब इसका विस्तार सरकारी तौर पर भी किया गया है।

क्या है इस्लामिक बैंकिंग व्यवस्था?

सऊदी अरब स्थित इस्लामिक कॉर्पोरेशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द प्राइवेट सेक्टर के अनुसार इस समय विश्व के 75 देशों में इस्लामिक बैंकिंग व्यवस्था का चलन है। इस संस्था के अनुसार इन देशों में 560 बैंकों और 1900 म्युचुअल फंड कंपनियों में इस्लामिक बैंकिंग व्यवस्था चल रही है। 2015 से लेकर 2021 के बीच इस्लामिक बैंकिंग व्यवस्था में पूंजी निवेश 2. 17 ट्रिलियन डॉलर से बढ़कर चार ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गया है और यह आशा है कि 2026 तक यह धनराशि बढ़कर 5.9 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगी। इस्लाम में क्योंकि ब्याज लेना और देना हराम माना जाता है। इसलिए ईरान और सऊदी अरब में इस्लामिक बैंकिंग व्यवस्था का विकास किया गया था। इस व्यवस्था के तहत जो लोग अपनी धनराशि बैंक में जमा करते हैं उस धनराशि को विभिन्न उद्योगों में निवेश कर दिया जाता है और उन उद्योगों से होने वाले लाभांश को इन व्यक्तियों में बांटा जाता है। यह व्यवस्था शरिया के अनुरूप है।

इस संदर्भ में यह भी उल्लेखनीय है कि कुछ मुस्लिम विद्वानों द्वारा यह तर्क देकर भी इस्लामिक बैंकिंग व्यवस्था की आलोचना की जा रही है कि ये पूंजी निवेश ऐसी कंपनियों में भी किया जाता है, जिन्हें इस्लामिक शरिया में हराम माना जाता है। इनमें शराब बनाने का उद्योग, मादक पदार्थों का कारोबार आदि शामिल हैं। मगर बैंकिंग व्यवस्था के विशेषज्ञों का कहना है कि कौन सा उद्योग हराम है या नहीं यह विवाद का विषय है। सबसे रोचक बात यह है कि सऊदी

अरब, ईरान और इराक जैसे देश जो इस्लामिक बैंकिंग व्यवस्था के पुरोधा माने जाते हैं, उनका धनाढ्य वर्ग अपनी संपत्ति स्विट्जरलैंड के बैंकों में भी जमा करवाता है, जहां इस्लामिक बैंकिंग व्यवस्था चालू नहीं है। 1963 में मिस्र में इस्लामिक बैंकिंग व्यवस्था पर आधाारित पहला बैंक 'मिट-गमर सेविंग्स बैंक' स्थापित किया गया था, जिसे उसे 1967 में बंद करना पड़ा। कहा जाता है कि मिस्र के सबसे बड़े इस्लामिक संस्थान अल-अजहर के विद्वानों ने यह शिकायत की थी कि यह बैंक शराब उद्योग और नशीले पदार्थ बनाने वाले अन्य उद्योगों के अतिरिक्त पर्यटन उद्योग में भी पूंजी निवेश करता है, जोकि इस्लामिक शरिया के अनुसार हराम है।

पाकिस्तान और अफगानिस्तान के आपसी संबंधों में तनाव

इंकलाब (11 सितंबर) के अनुसार पाकिस्तान सरकार द्वारा अफगानिस्तान से लगने वाली तोरखम सीमा को बंद करने के कारण पाकिस्तान और अफगानिस्तान के संबंधों में कटुता आ गई है। गौरतलब है कि पिछले सप्ताह सीमावर्ती चौकी स्थापित करने के मुद्दे पर अफगान सेना की पाकिस्तानी सेना के साथ जोरदार झड़पें हुई थीं, जिसमें कई लोग घायल हो गए थे। इस घटना के बाद पाकिस्तान ने तोरखम सीमा को बंद कर दिया। अफगान सरकार ने इस सीमा को बंद करने की आलोचना करते हुए कहा कि इसके कारण अफगानिस्तान को भारी क्षति उठानी पड़ रही है। सीमा बंद होने के कारण दोनों ओर जीवनोपयोगी वस्तुओं से लदे हुए सैकड़ों ट्रक खड़े हुए हैं, जिन्हें पाकिस्तान सराकर अपने क्षेत्र में दाखिल होने की अनुमति नहीं दे रही है। इसके कारण दोनों देशों को अरबों रुपये की क्षति हो रही है।

गौरतलब है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान 2600 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करते हैं। इसमें से अधिकांश क्षेत्र का सीमा

निर्धारण नहीं हुआ है, इसलिए दोनों देशों के बीच अनेक स्थानों पर आपसी विवाद चल रहा है। अफगान सरकार का कहना है कि पाकिस्तान सरकार अफगान क्षेत्र में अपनी एक सीमावर्ती चौकी स्थापित करना चाहती थी, जिसे अफगान सारकार ने अनुमति नहीं दी। इस पर दोनों देशों की सेनाओं में फायरिंग हुई थी। अफगान सरकार पाकिस्तान सरकार से इस बात से भी नाराज है कि वह पकिस्तान में रहने वाले अफगान शरणार्थियों को घुसपैठिया करार देकर जबरन अफगानिस्तान की सीमा में धकेल रही है। जबकि ये अफगान कई दशकों से पाकिस्तान में रह रहे हैं। हाल ही में कराची में रहने वाले अफगान नागरिकों ने पाकिस्तानी सेना द्वारा उन्हें देश से निष्कासित किए जाने के खिलाफ जोरदार विरोध प्रकट किया था। उन्होंने शिकायत की थी कि सैकड़ों अफगान नागरिकों को पाकिस्तानी सेना पकड़कर उन्हें जबरन अफगानिस्तान भेज रही है।

इत्तेमाद (12 सितंबर) के अनुसार पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने तोरखम सीमा को बंद किए जाने पर अफगानिस्तान सरकार की टिप्पणी पर हैरानी प्रकट की है और कहा है कि अफगान विदेश मंत्रालय का बयान हैरान करने वाला है। पाकिस्तान अपनी सीमा के अंदर किसी भी विदेशी सरकार को कोई निर्माण कार्य करने की अनुमति नहीं देगा। 6 सितंबर को अफगान फौजियों ने शांतिपूर्ण विवाद को सुलझाने की बजाय पाकिस्तानी सेना पर अंधाधुंध फायरिंग की। प्रवक्ता का यह भी कहना है कि अफगान सरकार ने पाकिस्तान सरकार को यह आश्वासन दिया था कि पाकिस्तान में हिंसक गतिविधियों के लिए अफगानिस्तान की भूमि का इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। मगर अफगान सरकार ने इस आश्वासन को पूरा नहीं किया और अफगानिस्तान की भूमि का इस्तेमाल निरंतर पाकिस्तान में हिंसा फैलाने के लिए किया जा रहा है।

हमारा समाज (13 सितंबर) के अनुसार पाकिस्तान सरकार ने अफगान सरकार पर जवाबी आरोप लगाया है कि अफगान सरकार पाकिस्तान की सीमा के अंदर अपनी एक सीमावर्ती चौकी का निर्माण करने का जो प्रयास कर रही है, वह अनुचित है। क्योंकि हम किसी भी विदेशी को अपनी सीमा के भीतर अतिक्रमण करने की इजाजत नहीं देंगे। प्रवक्ता ने कहा कि अफगानिस्तान पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर कुछ विवादित टिप्पणियां करता आ रहा है, जोकि हमारी अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप है। हम अफगानिस्तान सरकार की किसी भी ऐसे प्रयास की निंदा करते हैं। प्रवक्ता ने कहा कि हम आपसी विवादों को बातचीत द्वारा शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने के लिए तैयार हैं।

मिस्र के स्कूलों में नकाब पहनने पर प्रतिबंध

रोजनामा सहारा (13 सितंबर) के अनुसार मिस्र की शिक्षा मंत्रालय ने आगामी शैक्षणिक सत्र के लिए नए ड्रेस कोड की घोषणा की है। इस घोषणा के तहत स्कूलों में नकाब पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। गौरतलब है कि नया शैक्षणिक सत्र 30 सितंबर से शुरू होने वाला है। मिस्र के शिक्षा मंत्री डॉ. रेडा हेगाजी ने इस बात की पुष्टि की है। मगर सिर को ढकना वैकल्पिक रखा गया है। इसमें शर्त यह होगी कि छात्रा का चेहरा पूरा दिखाई दे। उन्होंने आशा व्यक्त की है कि मिस्र की जनता इस मामले में सरकार को सहयोग देगी। जहां तक यूनिफॉर्म के रंग का प्रश्न है इसे शिक्षा मंत्रालय के अधिकारी, स्कूलों के प्रबंधक और छात्राओं के अभिभावक मिलकर तय करेंगे। इस बैठक में यह भी तय होना है कि यूनिफॉर्म में कम-से-कम अगले तीन साल तक कोई परिवर्तन नहीं होगा। यूनिफॉर्म छात्र-छात्राओं के अभिभावकों को बाजार से खरीदना होगा। किसी भी स्कूल के प्रबंधक को यूनिफॉर्म बेचने की अनुमति नहीं होगी। छात्र-छात्राओं को ऐसे लिबास पहनने की अनुमति नहीं दी जाएगी, जिसकी सरकार ने स्वीकृति न दी हो। नई नीति के अनुसार अंतरराष्ट्रीय स्कूलों को भी अपने स्कूलों में अरबी भाषा के अतिरिक्त, राष्ट्रीय शिक्षा और धार्मिक शिक्षा की व्यवस्था करनी होगी।

मुंबई उर्दू न्यूज (15 सितंबर) के अनुसार मिस्र के विख्यात धार्मिक विद्वान डॉ. अहमद करीमा ने स्कूलों में नकाब पर प्रतिबंध लगाने का समर्थन किया है और कहा है कि चेहरे को नकाब से ढकना शरिया में अनिवार्य नहीं है। सिर्फ महिलाओं के लिए यह जरूरी है कि वह अपने सिर को ढकें। उन्होंने कहा कि 1997 में ओमान के शिक्षा संस्थानों में नकाब को पहनने पर प्रतिबंध लगाया गया था, जिसका किसी भी इस्लामिक विद्वान ने विरोध नहीं किया था। उन्होंने कहा कि नकाब पर प्रतिबंध धार्मिक मदरसों सहित सभी शिक्षा संस्थानों में लागू होना चाहिए। सरकारी दफ्तरों में भी नकाब पहनने पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। व्यक्तिगत आजादी के नाम पर नकाब पहनने का समर्थन करने का हक किसी को नहीं है।

सऊदी अरब में विद्रोह के आरोप में दो सैन्य अधिकारियों को मौत की सजा

मुंबई उर्दू न्यूज (15 सितंबर) के अनुसार सऊदी अरब में विद्रोह का प्रयास करने के आरोप में सऊदी सेना के दो उच्चाधिकारियों को मौत की सजा दी गई है। सऊदी प्रेस एजेंसी के अनुसार इन पर देश के खिलाफ विद्रोह करने, सैन्य कानून का उल्लंघन करने, सऊदी अरब की एकता को खंडित करने और देश में हिंसा फैलाने के आरोप लगाए गए थे। इन्हें एक शरई अदालत ने इस्लामिक कानून के तहत मौत की सजा दी है। जिन अधिकारियों को मौत की सजा दी गई है, उनमें पायलट लेफ्टिनेंट कर्नल माजिद बिन मूसा अवाद अल-बलावी और चीफ सार्जेंट यूसुफ बिन रेडा हसन अल-अजौनी शामिल हैं। इन्हें एक वर्ष पहले गिरफ्तार किया गया था। सरकारी बयान में यह नहीं बताया गया कि इनके गिरोह में कितने लोग शामिल थे। मगर जानकार सूत्रों के अनुसार अभी कुछ लोगों के खिलाफ अदालत में राजद्रोह का मुकदमा चल रहा है। सरकारी बयान के अनुसार इन्हें मौत की सजा देने की पुष्टि सऊदी अरब के शाह ने की थी। इसके बाद ताइफ नामक नगर में नमाज के बाद सार्वजनिक रूप से इनके सिर को तलवार से काट दिया गया।

ईरान में इजरायली एजेंटों की साजिश विफल

इंकलाब (2 सितंबर) के अनुसार ईरान की रक्षा मंत्रालय ने यह दावा किया है कि इजरायल के जासूसों ने देश की मिसाइल और अंतरिक्ष से जुड़े हुए संस्थानों को तबाह करने की जो योजना बनाई थी उसे ईरान के गुप्तचर विभाग ने विफल कर दिया है। सरकारी टीवी ने कहा है कि इस संबंध में अनेक लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इजरायली जासूसों ने ईरान की मिसाइल और जहाज बनाने के कई कारखानों को बमों से उड़ाने की योजना बनाई थी। यह योजना इजरायली गुप्तचर एजेंसी और उसके एजेंटों ने तैयार की थी। ईरान ने दावा किया है कि इस संबंध में दो दर्जन से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

ईरानी रक्षा मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने कहा कि इजरायली एजेंट उन फैक्ट्रियों को उड़ाना चाहते थे, जिनमें ईरान के मिसाइल तैयार किए जाते हैं। प्रवक्ता ने कहा कि ईरान के मिसाइल कार्यक्रम की सफलता से इजरायल बेहद परेशान है। क्योंकि वह यह समझता है कि ईरान ने जो अत्याधुनिक मिसाइल विकसित किए हैं उससे इजरायल के सभी सैन्य ठिकानों को ध्वस्त किया जा सकता है। इसलिए इजरायली गुप्तचर एजेंसी मोसाद ने इन सारी परियोजनाओं में पलीता

लगाने की योजना बनाई थी। इससे पूर्व भी इजरायली एजेंट ईरान के मिसाइल विकास कार्यक्रम में लगे हुए एक दर्जन से अधिक वैज्ञानिकों की हत्या कर चुके हैं।

ईरान के विदेश मंत्री ने यह घोषणा की है कि ईरान सीरिया को समर्थन देना जारी रखेगा और ईरान पर यहूदियों के हमलों का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। सीरिया के विदेश मंत्री के साथ दमिश्क में आयोजित एक संयुक्त सम्मेलन में ईरानी विदेश मंत्री ने सीरिया में इजरायली हमलों की निंदा की है और कहा है कि जब तक इजरायल का खात्मा नहीं हो जाता, ईरान सीरिया की सरकार और सेना का समर्थन जारी रखेगा और उन्हें हर संभव सहायता प्रदान करेगा। उन्होंने अमेरिका को चेतावनी दी कि वह इस क्षेत्र से बोरिया-बिस्तर बांधकर चला जाए।

सऊदी अरब के स्कूलों में संगीत की शिक्षा

फिलहाल सऊदी अरब के स्कूलों में संगीत की शिक्षा देने के लिए विदेशी अध्यापकों की नियुक्ति की जाएगी। इन दिनों सऊदी अरब में युवराज मोहम्मद बिन सलमान की ओर से उदारीकरण का जो अभियान चलाया जा रहा है उस दिशा में सरकारी स्कूलों में संगीत की शिक्षा देना एक महत्त्वपूर्ण कदम है। क्योंकि इस्लाम में संगीत को हराम माना जाता है और संगीत की शिक्षा देने वाले को शरिया के अनुसार मौत की सजा देने की व्यवस्था है। इससे पूर्व सऊदी अरब में पहली बार 41 सिनेमा हॉल स्थापित किए जा चुके हैं और 61 मॉल्स में महिलाओं को बिना बुर्का पहने दाखिल होने और खरीदारी करने की भी विशेष अनुमति दी गई है।

रोजनामा सहारा (6 सितंबर) के अनुसार सऊदी सरकार ने यह घोषणा की है कि सऊदी अरब के सभी स्कूलों में इस वर्ष के शैक्षणिक सत्र शुरू होने पर संगीत की शिक्षा दी जाएगी। हाल ही में सऊदी सरकार ने अध्यापकों को संगीत की शिक्षा देने के लिए एक सरकारी शिक्षा संस्थान की भी स्थापना की है, जिसके पाठ्यक्रम की अवधि दो साल की होगी। रियाद में म्यूजिक होम स्कूल ऑफ आर्ट ने संस्कृति मंत्रालय के सहयोग से पहला संगीत प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किया है। इस संस्थान की कार्यकारी निदेशक मोअताज अल-शबाना ने संवाददाताओं को बताया कि

इंकलाब (7 सितंबर) के अनुसार अफगानिस्तान में तालिबान ने एक निजी समारोह में म्यूजिक चलाने पर छह व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया है। इन लोगों को मजार-ए-शरीफ से गिरफ्तार किया गया है। तालिबान सरकार के

प्रवक्ता ने कहा है कि इन लोगों के खिलाफ शरिया के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी और उन्हें सार्वजनिक रूप से कोड़े लगाए जाएंगे। गौरतलब है कि सत्ता में आने के बाद तालिबान सरकार ने पूरे देश में संगीत पर प्रतिबंध लगा रखा है। अफगानिस्तान के प्रांत हेरात में शरिया विभाग ने सैकड़ों वाद्य यंत्रों को इकट्ठा करके सार्वजनिक रूप से जला दिया था। अफगान सरकार ने सभी अफगान नागरिकों को यह आदेश दिया है कि वे अपने-अपने घरों में रखे हुए वाद्य यंत्रों को सरकार के हवाले कर दें ताकि उन्हें नष्ट कर दिया जाए। सरकारी प्रवक्ता ने कहा है कि इस्लाम में वाद्य यंत्रों को बनाना और उसे बेचना हराम है। इसलिए वाद्य यंत्रों को बनाने वालों को कम-से-कम पांच वर्ष कैद की सजा दी जाएगी और उन पर भारी जुर्माना भी लगाया जाएगा।

बहरीन में इजरायल का दूतावास

रोजनामा सहारा (6 सितंबर) के अनुसार इजरायल ने बहरीन के साथ सामान्य संबंध स्थापित करने की संधि के तीन साल के बाद बहरीन में अपना विधिवत दूतावास खोल दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इजरायल के विदेश मंत्री एली कोहेन ने बहरीन दौरे के दौरान इस दूतावास का विधिवत उद्घाटन किया। इस अवसर पर बहरीन के विदेश मंत्री भी मौजूद थे। इन दोनों मंत्रियों ने कहा कि दोनों देश आपसी व्यापारिक संबंधों में सहयोग देंगे। उन्होंने कहा कि इजरायल और बहरीन के बीच सीधी हवाई सेवा शुरू कर दी गई है। हम चाहते हैं कि इजरायली पर्यटक ज्यादा से ज्यादा संख्या में बहरीन का दौरा करें। इजरायल बहरीन के आर्थिक विकास के लिए वहां पर पूंजी निवेश करने के लिए भी तैयार है।

गौरतलब है कि अमेरिका के दबाव के कारण अब्राहम समझौते के तहत पिछले वर्ष बहरीन और इजरायल के बीच राजनयिक संबंध स्थापित करने की घोषणा की गई थी। हाल ही में इजरायल के विदेश मंत्री के साथ 30 से अधिक इजरायली कंपनियों के प्रतिनिधियों का एक प्रतिनिधिमंडल भी बहरीन गया था। इस प्रतिनिधिमंडल ने बहरीन के युवराज सलमान बिन हमद अल खलीफा से मुलाकात की और बहरीन में इजरायली पूंजी निवेश की विभिन्न परियोजनाओं पर विचार-विमर्श किया। बहरीन और इजरायल के बढ़ते हुए संबंधों की ईरान और सऊदी अरब ने आलोचना की है और कहा है कि इससे इस्लामिक एकता की भावना को आघात पहुंचेगा।

माली में इस्लामिक आतंकियों के हमले में 80 से अधिक मरे

रोजनामा सहारा (9 सितंबर) के अनुसार माली में इस्लामिक आतंकी संगठन अल-शबाब ने एक फौजी अड्डे और दो जलयानों पर हमला करके कम-से-कम 80 लोगों को मौत के घाट उतार दिया है। मरने वालों में 25 के लगभग फौजी भी शामिल हैं। सरकारी प्रवक्ता के अनुसार आतंकियों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई में कम-से-कम 50 आतंकी मारे गए हैं। इन दोनों आतंकी हमलों की जिम्मेवारी अलकायदा से जुड़े हुए अल-शबाब नामक आतंकी संगठन ने ली है। सरकार ने तीन दिन का राष्ट्रीय शोक मनाने की घोषणा की है।

हिंदुस्तान एक्सप्रेस (9 सितंबर) के अनुसार 2012 से माली में इस्लामिक जिहादी संगठन सक्रिय हैं, जिसके कारण यह देश गृहयुद्ध का शिकार है। इस गृहयुद्ध के चलते हजारों लोग मारे जा चुके हैं और लाखों लोग बेघर हो गए हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ ने माली में अपने शांति मिशन के 17 हजार कर्मचारियों को वापस बुलाने की घोषणा की है। इन फौजियों की वापसी इस साल के अंत तक हो जाएगी। इनको 2013 में माली में तैनात किया गया था। इस दौरान इस मिशन के तीन हजार से अधिक फौजी मारे जा चुके हैं। 2020 के बाद माली में दो बार सैन्य क्रांति हो चुकी है। सेना का कहना है कि वह विद्रोहियों को कुचलकर ही दम लेगी।

सियासत (4 सितंबर) के अनुसार माली में खाद्यान्न का भीषण संकट है और कम-से-कम दस लाख बच्चे भुखमरी का शिकार हो गए हैं। भूख के कारण कम से कम 20 हजार बच्चे मारे जा चुके हैं। यूनिसेफ की सहायता टीम का कहना है कि माली एक गंभीर संकट से गुजर रहा है। अगर वहां पर संयुक्त राष्ट्र संघ ने मानवीय आधार पर सहायता उपलब्ध नहीं कराई तो लाखों लोग भुखमरी का शिकार हो सकते हैं।

RNI No. DELHIN/2017/72722

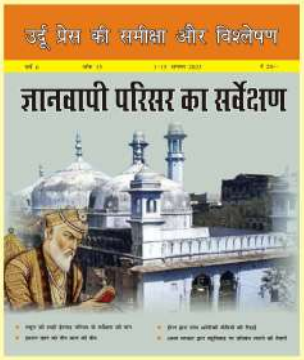

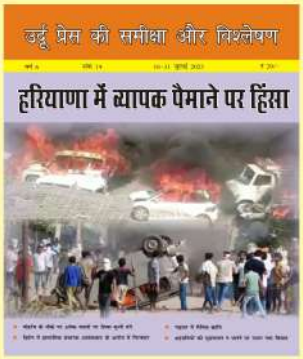

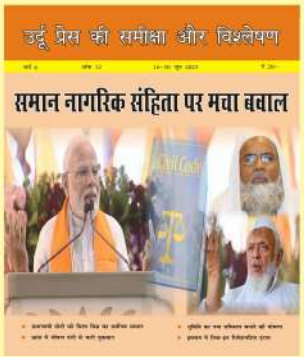

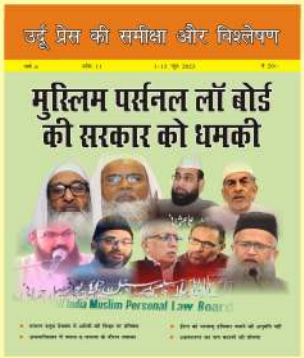

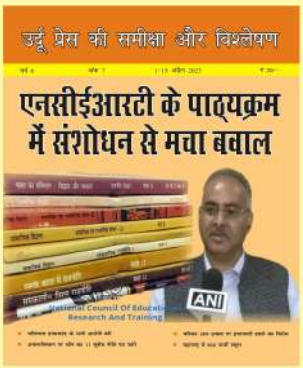

भारत नीति प्रतिष्ठान
India Policy Foundation
डी-51, प्रथम तल, हौजखास, नई दिल्ली-110016
दूरभाष : 011-26524018
ईमेल : info@ipf.org.in, indiapolicy@gmail.com
वेबसाइट : www.ipf.org.in